न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0)

रैफरेंस संख्या –98/2018

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

राधेश्याम पुत्र देवाराम कौम खत्री निवासी रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आवंटन आराजी खसरा नम्बर 1955/1057 रकबा 0.02 बीघा के विरूद्ध बिना आंवटन के दर्ज गैरखातेदारी/खातेदारी को निरस्त कर सिवायचक दर्ज करने बाबत्।

उपस्थित :
1. पैरोकार सरकार

दिनांक : 08.05.2025

निर्णय

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रूपवास द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् आराजी खसरा न0 1955/1057 रकबा 0.02 गै0मु0 तालाब वाके ग्राम व तहसील रूपवास जिला भरतपुर विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी ग्राम रूपवास में नही रहना अवगत कराया गया है साथ ही उसके कायममुकाम के सबंध में रिपोर्ट ली गई मुताबिक रिपोर्ट उक्त करीबन 45–50 वर्ष पूर्व ही ग्राम छोड़कर कही बाहर जा चुका है, जिसका कोई अता–पता नही है तथा वारिसान के बारे मे कोई जानकारी नही होना अवगत कराया गया है।

पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार के द्वारा तहसीलदार (भूमिधारी) रूपवास के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का समर्थन करते हुये कथन किया कि प्रार्थनापत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1955/1057 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

गै0मु0तालाब दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड विवादित आराजी खसरा नम्बर 1955/1057 रकबा 0.02 वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास का बिना आवंटन के हुक्मन खातेदारी से नामान्तकरण संख्या 847 दिनांक 05.09.1973 से जमाबंदी संवत् 2029–2032 में खाता संख्या 530 में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत वर्जित भूमियों की श्रेणी में आती है तथा ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति को आवंटन किया जाना एवं अधिकार अभिलेख में गैरखातेदार/खातेदार दर्ज किया जाना नियम विरूद्ध है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर दर्ज निजी खातेदारी मान0उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिशन न01536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के तहत जारी आदेश 02.8.2024 एवं मान0 लोकायुक्त प्रमुख सचिव जयपुर राजस्थान के लोकायुक्त प्रकरण कमांक 11(151) लो.आ.स./2013/15899 जयपुर दिनांक 20.2.2014 तथा मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश जनहित याचिका डी.बी. सिविल रिट पिटिशन न014757/2017 पुरूषोत्तम बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 27.11.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार रैफरेन्स तैयार की जाकर राजकीय स्वामित्व के सिवायचक खाते में दर्ज करने योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिबन्धानुसार नियम 4 राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन नियम 1970 के तहत इस आराजी का आवंटन नही किया जा सकता है इसलिए आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है। जब अप्रार्थी को किया गया आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानों के विपरीत है तो उसके आधार पर इन्द्राज गैरखातेदार तत्पश्चात खातेदार अवैध एवं शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य रहते है। सार्वजनिक उपयोग की आराजी के किये गये बिना आवंटन एवं इन्द्राज गैरखातेदार/खातेदार विधि विरूद्ध माना गया है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने पैरोकार सरकार के कथनो पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1955/1057 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0तालाब वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास के सबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया जिसमें जमाबंदी संवत् 2012–2015 में खाता संख्या 714 के ख0न0 1057 रकबा 9.07 बीघा किस्म गैर मुमकिन दर्ज है तथा जमाबंदी संवत् 2029–32 में खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै0मु0तालाब दर्ज होकर खेमाबाई बेवा दयाराम कौम खत्री सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2069–72 में खसरा नम्बर 1955/1057 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0तालाब पर राधेश्याम पुत्र देवाराम कौम खत्री सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। नामा0स0 847 से ख0न0 1057 पर कॉलम न05 में मकबूजा सरकार के स्थान पर विभिन्न खातेदारो सहित खेमाबाई बेवा देवाराम कौम खत्री सा0देह खातेदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1955/1057 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0तालाब दर्ज रही है तथा वर्तमान में भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है। तहसीलदार रूपवास की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार आराजी पर मौके पर पक्के निर्माण वगै0 होना अवगत कराया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(4) के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित भूमि पर किसी व्यक्ति को आंवटन/गैरखातेदार दर्ज किया जाना वर्जित रहता है। भूमि को वापिस सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। पैरोकार सरकार के कथनो से हम सहमत है इस जलभराव की भूमि पर खातेदारी अधिकार अर्जित नही होते है। इस प्रकार गै0मु0तालाब की भूमि को खातेदारी अधिकार अर्जित नही होते है और यदि ऐसी भूमि पर किसी आदेश/डिक्री के द्वारा यदि खातेदारी प्रदत्त कर दिये गये है तो वह प्रभाव शून्य एवं व्यर्थ होने से निरस्तनीय हैं, ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को सूचित किया जाना उचित पाते है।

अतः आज्ञा है कि:–

प्रार्थी (तहसीलदार रूपवास) का प्रार्थना पत्र (रैफरेन्स) स्वीकार किया जाता है। मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित की जाती है कि आराजी नम्बर 1955/1057 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0तालाब वाके ग्राम रूपवास तहसील रूपवास का किया गया नामान्तरकरण सं0 847 से इन्द्राज खातेदारी अप्रार्थी निरस्त किया जाकर आराजी राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व की भांति सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूपवास को प्रेषित की जावे। पक्षकारान माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे दिनांक **12.06.2026** को उपस्थित हो। यह पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

आज्ञा सुनाई गयी ।

(घनश्याम शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर